अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती उर्वशी पत्नी श्री अभिजीत कोचर पुत्री श्री पूरणमल गेरा, निवासी मकान नम्बर 43/30/12, स्वर्ण पथ मानसरोवर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती ईला कोचर पत्नी श्री चांद रतन कोचर
2. श्री चांद रतन कोचर पुत्र स्व॰ श्री सदनमल कोचर
   निवासी मकान नम्बर 43/30/01, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 07.05.2024 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 14/2023 ब उनवानी श्रीमती ईला कोचर बनाम अभिजीत कोचर व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थिया मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 15.10.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 14/2023 ब उनवानी श्रीमती ईला कोचर बनाम अभिजीत कोचर में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2023 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस बी सिविल रिट पीटशन नम्बर 11162/2024 आदेश दिनांक 15.07.2024 की पालना में अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ही उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थिया व उसके पति अभिजित कोचर एवं उसके पिता पूरणमल गेरा एवं भाई सचिन के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण की सम्पत्ति मकान नम्बर 45/30/12 स्वर्ण पथ मानसरोवर जयपुर का भौतिक कब्जा अपीलार्थी व उसके पति से दिलाये जाने व 25,000/–रूपये प्रति माह दिलाये जाने का अनुरोध किया था जिसमें अपीलार्थिया के भाई व पिता ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रत्यर्थीगण के पारिवारिक सदस्य नहीं होने से उनका नाम डिलीट किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ अधिकरण ने बिना जबाब प्रस्तुत किये और जबाब का अवसर बन्द किये बिना दिनांक 07.05.2024 को यह आदेश पारित कर दिया कि " अतः प्रार्थीगण की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

और से प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीगण के मकान संख्या 43/30/12 स्वर्ण पथ मानसरोवर जयपुर से बेदखल किया जाता है साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि वे भरण पोषण के तौर पर हर माह 5000/–रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये प्रार्थीगण के बैंक खाते में जमा करवायेंगे। आदेश की पालना हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।" अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2024 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विरूद्ध पारित किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कार्यवाही कर रहा है, को पुत्रवधु का घर से बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त एस. वनीता बनाम डिप्टी कमीश्नर बैंगलुरू वगैरह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधान पुत्र वधु के घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मेट्रीमोनियल निवास में रहने के अधिकार को परास्त नहीं कर सकते। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश में ज्यूडिशियल माईण्ड का उपयोग किये बिना ही पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थिया को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा मात्र प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनो के आधार पर उक्त आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध में ना तो तथ्यात्मक विवेचना की, ना ही किसी प्रकार की कानूनी विवेचना की। इस प्रकार उक्त आदेश एक नोन स्पीकिंग आदेश की तारीफ में आता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा धारा–5 सीनियर सिटीजन एक्ट की पूरी तरह से अवहेलना की है। धारा–5 (3) सीनियर सिटीजन एक्ट में यह प्रावधान है कि जब भी अधिकरण द्वारा भरण पोषण के संबंध में आवेदन प्राप्त होगा तो अधिकरण द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर भरण पोषण राशि का निर्धारण आवश्यक जांच करने के पश्चात किया जा सकेगा। प्रकरण में वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि सीनियर सिटीजन चांद रतन कौचर की करीब 40 बीघा कृषि भूमि ग्राम खाजूहेडा, जिला बीकानेर में स्थित है तथा उक्त भूमि को उसने ठेके पर दे रखी है, जिससे कृषि उपज का 50 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चांद रतन कौचर स्वयं एचएमटी कम्पनी से सेवानिवृत है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। उक्त सभी तथ्य अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष नहीं आ सके । क्योंकि अपीलार्थिया को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ अधिकरण में प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आदेश पारित करने हेतु नियत था, जिसका हवाला आर्डरशीट में भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि सीनियर सिटीजन स्वयं मकान नम्बर 43/36/01, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर में संयुक्त रूप से निवास कर रहे है तथा अपीलार्थिया अपने पर पति के साथ उक्त मकान में निवास कर रही थी। अपीलार्थिया को उसके सास ससुर एवं पति द्वारा यह बताया गया कि उक्त मकान उसके पति अभिजीत कौचर के नाम से है। उक्त मकान के मालिकाना हक के संबंध में प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में बेदखली बाबत आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि स्वयं सीनियर सिटीजन को उक्त मकान की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि वे अपीलार्थिया एवं उसके पति को बेदखल कर उसे किराये पर देना चाहते है। यदि प्रत्यर्थीगण की उक्त मंशा किराया वसूल करने की ही थी तो ऐसी स्थिति में

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ अधिकरण अपीलार्थिया के पति को यह आदेशित कर सकता था कि वह अपने माता–पिता को उक्त मकान की किराया राशि अदा करें। अपीलार्थिया व उसके पति के मध्य वैवाहिक विवाद है। उक्त विवाद के चलते अपीलार्थिया ने अपने पति व रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–10, जयपुर महानगर प्रथम के समक्ष एक परिवाद अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा अधिनियम का पूर्व में प्रस्तुत कर रखा है। उक्त परिवाद दर्ज होने के पश्चात प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया को घर से बेदखल करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थिया अपने पति के साथ उक्त मकान में निवास कर रही थी तथा वैवाहिक विवाद होने पर अपीलार्थिया का पति उक्त आवास को छोड कर दीगर अनजान जगह पर रहने लग गया, जिसकी जानकारी ना तो अपीलार्थिया के पति द्वारा अपीलार्थिया को दी गयी ना ही प्रत्यर्थीगण द्वारा दी गयी। अपीलार्थिया उक्त मकान में अपनी पुत्री के साथ निवास कर रही है। यदि अपीलार्थिया को उक्त मकान से बेदखल कर दिया तो अपीलार्थिया एवं उसकी पुत्री के पास रहने के लिये जगह नहीं बचेगी तथा व दर–दर की ठोकरें खायेगी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2023 को खारिज फरमाया जावे ।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पुत्र अभिजित कोचर का दिनांक 25.11.2020 को अपीलार्थिया उर्वशी के साथ विवाह सम्पन्न हुआ था। अपीलार्थिया का व्यवहार शुरू से ही क्रुरता पूर्वक एवं झगडालू किस्म का था। वह बात–बात पर बिना वजह ही प्रत्यर्थी के पुत्र अभिजीत कोचर एवं प्रत्यर्थी स्वयं से लडाई झगडा करती व घर का कोई कार्य नहीं करती तथा प्रत्यर्थी के पुत्र पर अलग रहने का दबाव डालती। प्रत्यर्थी का पुत्र अपने रोजगार के संबंध में दिन में घर से बाहर रहता है तथा प्रार्थीया उर्वशी आये दिन प्रत्यर्थी एवं अन्य परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करती और लडाई झगडे पर उतारू रहती। उवर्शी ने प्रत्यर्थी के पुत्र को प्रेम जाल में फंसाकर विवाह किया था। प्रत्यर्थी उक्त विवाह से सहमत नहीं थे, क्योंकि प्रत्यर्थी जैन धर्म व अपीलार्थिया पंजाबी जाति की है। अपीलार्थिया एवं उसका पति प्रत्यर्थी का कोई ध्यान नहीं रखते है, ना ही कोई भरण पोषण, खाने–पीने की व्यवस्था करते है तथा ना ही कोई चिकित्सा सुविधा ही उपलब्ध कराते है। प्रत्यर्थी वरिष्ठ नागरिक है तथा आय का कोई साधन नहीं है, केवम मात्र अपना मकान किराये पर देकर किराये राशि से अपना जीवन यापन कर रहे है। जिसे भी अपीलार्थिया एवं उसके पति ने मकान पर कब्जा कर लिया है तथा ना तो किराया राशि अदा कर रहे है ना ही उक्त मकान खाली कर रहे है, ना ही वृद्व माता पिता को भरण–पोषण ही अदा कर रहे हैं। विवाह के समय प्रार्थीया एवं उसके पिता पूरण मल गैरा ने कहा था कि प्रार्थीया के पूर्व पति से उत्पन्न पुत्री रावी को उसके नाना पूरणमल अपने साथ रखेगें परन्तु शादी के कुछ दिन बाद ही अपीलार्थिया प्रत्यर्थी संख्या 2 पर दबाव बनाने लगी कि पूर्व पति से उत्पन्न पुत्री रावी को गोद ले लें और प्रत्यर्थी की सम्पति को स्वयं के नाम एवं उसकी पुत्री रावी के नाम करने का दबाव बनाने लगी। अपीलार्थिया, प्रत्यर्थी को गन्दी गन्दी गालियॉ बक कर अपशब्द कहने लगी तथा डराने धमकाने लगी, प्रत्यर्थीगण को झूंठे केसों में फंसाकर जेल में डलवाने की धमकियां देने लगी। तंग परेशान होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थिया व उसके पति को अपने धर से दोनो को सम्पूर्ण साजो–सामान देकर दिनांक 23.04.2021 को अलग कर दिया। अपीलार्थिया एवं उसका पति अभिजित कोचर अपना सारा सामान लेकर प्रत्यर्थी के स्वामित्व के अन्य मकान नम्बर 43/30/12, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर पर रहने लगे। प्रत्यर्थी द्वारा कई बार अपीलार्थिया एवं उसके पति को उक्त मकान का किराया अदा करने के लिये कहा गया, परन्तु दोनो आये दिन कुछ

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

ना कुछ बहाना बनाकर प्रत्यर्थी को टालते रहे, अपीलार्थिया की नियत में उक्त सम्पति को लेकर बेईमानी आ गई है तथा अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 आपसी मिलीभगत से षडयंत्र रचकर प्रत्यर्थी के स्वामित्व की सम्पति को हडप करना चाहते है। प्रत्यर्थी एवं उसके पति वरिष्ठ नागरिक है। उक्त सम्पति प्रत्यर्थी एवं उसके पति की स्वअर्जित आय से खरीदी हुई सम्पति है, किसी अन्य को कोई हक अधिकार नही है। अपीलार्थिया एवं उसका पति माता–पिता की सेवा एवं भरण पोषण करने में पूर्ण रूप से असफल रहे है। अपीलार्थिया एवं उसका पति उक्त सम्पत्ति के लालच में अप्राकृतिक घटना कारित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ जान–माल का नुकसान कारित कर सकते है। अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थिया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15..07.2024 की पालना में अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 07.05.2024 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है। उभय पक्ष को सुनने, तहत रिकार्ड तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन एवं मनन करने पर यह पाया गया है कि अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश से प्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की सम्पत्ति मकान नम्बर 43/30/12, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर से अपीलार्थिया व उसके पति को बेदखल किये जाने तथा अपीलार्थिया के पति को 5000/–अक्षरे पांच हजार रूपये प्रत्यर्थीगण को प्रति माह बतौर भरण पोषण राशि दिये जाने के आदेश दिये गये है। प्रथम, भरण पोषण आदेश बाबत किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिसे यथावत रखा जाता है। द्वितीय, प्रत्यर्थी संख्या 01 ने उक्त विवादित सम्पत्ति अपने स्वामित्व की बताई है, किन्तु स्वामित्व की पुष्टि में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। तृतीय, अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अप्रार्थी संख्या 3 पूरण मल गेरा व अप्रार्थी संख्या 4 सचिन ने अपना नाम डिलीट किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधीनस्थ अधिकरण की आदेशिका दिनांक 19.02.2024 के अनुसार पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नाम हजफ के लिए नियत थी, किन्तु प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र के पैण्डिंग रहते हुये अन्तिम रूप से अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2023 पारित किया गया है जिसे किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ अधिकरण के अपीलीय आदेश दिनांक 07.05.2023 को भरण पोषण के आदेश की हद तक यथावत रखा जाता है। शेष आदेश अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आब्जर्वेशन अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विधिवत निस्तारण करते हुये विस्तृत जांच कर प्रकरण का मैरिट एवं गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से आदेश पारित करे।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner